वेलोपित / विलोपित (328)

निग0-3008/2018/रीवा/भू.रा.

समक्ष श्रीमान् राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

सतानन्द तिवारी पिता स्व0 शुभकरण राम तिवारी निवासी ग्राम बरवाह तह0 सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 ------ आवेदक / निगरानी कर्ता।

बनाम

1- संतोष कुमार तिवारी पिता सतानन्द तिवारी निवासी ग्राम बरवाह तह0 सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 ।

2- म0प्र0 शासन द्वारा विनय प्रताप सिंह पटवारी हल्का शुक्वार तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 ----- अना 0/ गैर निग0कर्ता।

निगरानी नक्शा तरमीम भूमि सर्वे नं0538/1, 539/1 , 538/2/2 , 539/2/2 स्थित ग्राम मऊ तहसील सेमरिया जिला रीवा ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता सन 1959 ई0 ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1- यहकि आवेदक/ निगरानी कर्ता भूमि सर्वे नं0 328 व 329 का तनहा मालिक-भूमिस्वामी है , उक्त आराजियात संयुक्त परिवार की थी, भाइयों के बीच में बटवारा होने के बाद उक्त दोनों भूमियां आवेदक को प्राप्त होगई उसमे संयुक्त परिवार का हक व हिस्सा समाप्त हो गया, आवेदक तनहा मालिक भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी घोषित हुआ ।

2- यहकि भूमि सर्वे नं0 538/1 मेंड़ है तथा 539/2 बाँध एवं खेत है जिसमें कृषि कार्य होता है, चूंकि आवेदक के तीन पुत्र हैं, उनमे से उत्तरवादी क्रमांक 1 संतोष कुमार उक्त भूमियों का नामान्तरण बिना किसी आधार के अपने नाम करवा कर बटा नम्बर डाल दिया जो अवैधानिक एवं गैर कानूनी होने से निरस्त योग्य है । उक्त गलत कृत्य की जानकारी होने पर आवेदक ने नामान्तरण पंजी की नकल प्राप्त करके अनुविभागीय अधिकारी सेमरिया के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दिया है जो विचाराधीन है । चूंकि संयुक्त परिवार का विघटन अभी तक नही हुआ है, संयुक्त परिवार में सभी लड़के व लड़कियों का बराबर-बराबर हक व हिस्सा होता है, ऐसी परिस्थिति में परिवार के सभी सद- ----

(328)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग03008/2018/ रीवा/भू–रा0 जिला–रीवा

सतानन्द तिवारी/सन्तोष कुमार तिवारी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीनिवास पटेल उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील सेमरिया के प्रकरण क्रमांक नक्शा तरमीम में पारित आदेश दिनांक 09.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.9.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	